प्रेस नोट-जनपद सीतापुर

झोलाछाप डॉक्टरों के विरुद्ध मानपुर पुलिस का कड़ा प्रहार: इलाज के दौरान 14 वर्षीय किशोरी की मृत्यु के मामले में वांछित झोलाछाप डॉक्टर गिरफ्तार; अवैध क्लिनिक, संपत्तियों और पुराने मामलों की होगी गहन जांच

दिनांक:-17.08.2026

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय सीतापुर श्री अंकुर अग्रवाल के आदेशानुसार, अपराध एवं अपराधियों तथा वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के अन्तर्गत, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय (उत्तरी) श्री आलोक सिंह एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी बिसवां श्री हर्षित चौहान के कुशल पर्यवेक्षण में थाना मानपुर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 01 नफर वांछित अभियुक्त (झोलाछाप डॉक्टर) को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:

मो0 समीर पुत्र मो0 सलीम **स्थायी पता** ग्राम धोंधी पारा, थाना तालगाँव, जनपद सीतापुर **हाल पता:** समीर मेडिकल स्टोर, विसेण्डा, थाना मानपुर, जनपद सीतापुर

घटना का संक्षिप्त विवरण:

दिनांक 15.08.2026 को समय लगभग दोपहर 14:00 बजे, ग्राम विसेण्डा थाना मानपुर निवासी राम किशोर की 14 वर्षीय पुत्री अल्की को तेज बुखार व जाड़ा आने पर उसकी माता ममता इलाज हेतु समीर मेडिकल स्टोर, विसेण्डा ले गई थीं। वहां कथित डॉक्टर मो0 समीर पुत्र मो0 सलीम द्वारा किशोरी को गलत तरीके से इंजेक्शन व ड्रिप (ग्लूकोज) लगाई गई। दवा व इंजेक्शन लगाने के पश्चात जब किशोरी की हालत अत्यधिक बिगड़ने लगी, तो डॉक्टर ने अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए परिजनों को बच्ची को घर ले जाने को कहा। समय लगभग 16:30 बजे किशोरी की स्थिति और अधिक गंभीर होने पर परिजन उसे तत्काल सीएचसी बिसवां ले गए, जहां चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया।

उक्त घटना के संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया:

- **मु0अ0सं0: 154/2026**
- **पंजीकृत धाराएं: 105 / 352 / 351(2) बीएनएस (BNS), 3(2)V SC/ST ACT एवं 34(2) राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019।**

कड़ी कानूनी व प्रशासनिक कार्रवाई की चेतावनी:

1. **अवैध संपत्तियों की जांच:** अभियुक्त द्वारा अवैध चिकित्सीय अभ्यास (झोलाछाप क्लिनिक) के माध्यम से अर्जित की गई चल-अचल संपत्तियों की गहनता से आर्थिक जांच की जाएगी तथा विधि अनुसार जब्ती/ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
2. **पूर्व के मामलों की पड़ताल:** अभियुक्त द्वारा पूर्व में दिए गए गलत इलाज व अन्य मरीजों की सेहत से खिलवाड़ से जुड़ी शिकायतों की भी विस्तृत जानकारी जुटाकर सख्त से सख्त पूरक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
3. **झोलाछाप डॉक्टरों पर शिकंजा: पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर जनपद सीतापुर क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित हो रहे सभी झोलाछाप डॉक्टरों व फर्जी क्लिनिकों के विरुद्ध व्यापक सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। जनस्वास्थ्य एवं मासूम जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी अवैध संचालक को बख्शा नहीं जाएगा।**

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए उसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

1. प्र0नि0 श्री संतोष कुमार सिंह
2. उ0नि0 श्री त्रिभुवन सिंह
3. हे0का0 शिवशंकर
4. हे0का0 यदुवीर सिंह